

विभाग प्रमुखों के आदेश
संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

“कचनार”, ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल

क्रमांक-1829-अमृत-वि.यो.-21-सागर-नग्रानि-2022

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2022

सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि सागर निवेश क्षेत्र के लिए सागर विकास योजना, 2035 का प्रारूप म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट- <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Sagar/Amrut/sgr2035.pdf> पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं -

1. आयुक्त, सागर संभाग, सागर, म.प्र.
2. कलेक्टर, जिला सागर, म.प्र.
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, सागर म.प्र.
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सागर, म.प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप सागर विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, सागर या ई-मेल आईडी obj-sugg-sagar@mp.gov.in में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

मुकेश चन्द गुप्ता, वि.क.अ. सह-आयुक्त-सह-संचालक.

No.1829-Amrut-D.P.-21-Sagar-TCP-2022

Bhopal, the 27th April 2022**NOTICE**

Notice is hereby given that the Sagar Development Plan, 2035 for Sagar Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub section (2) of section 23 read with sub-section [1] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 19/3), a copy thereof is available for inspection on Directorate's website--
<http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Sagar/Amrut/sgr2035.pdf> and at following offices during office hours namely -

- 1- Commissioner, Sagar Division, Sagar, M.P.
- 2- Collector, District- Sagar, M.P.
- 3- Commissioner, Nagar Palik Nigam, Sagar
- 4- Joint Director, Town and Country Planning, District office, Sagar

If there be any objection or suggestion with respect to the said - Sagar Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Joint Director, Town and Country Planning, Sagar or mail on Email-id-
obj-sugg-sagar@mp.gov.in before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .

MUKESH CHAND GUPTA, OSD Cum-Commissioner-Cum-Director.

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

“कचनार”, ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर 2021

सूचना

क्रमांक-4575-अमृत-वि.यो.-14-ग्वालियर-नग्रानि-2021.- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि ग्वालियर निवेश क्षेत्र के लिए ग्वालियर विकास योजना, 2035 का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट-<http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Gwalior/Amrut/gwl2035.pdf> पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं :-

1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर
2. कलेक्टर, जिला ग्वालियर
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, ग्वालियर
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, ग्वालियर, मध्यप्रदेश

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप ग्वालियर विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, ग्वालियर या ई-मेल आई.डी. obj-sugg-gwalior@mp.gov.in में इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.

Bhopal, the 11th October 2021

NOTICE

No. 4575-Amrut-D.P.-14-gwalior-TCP-2021.- Notice is hereby given that the Draft Development Plan, 2035 for Gwalior Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub-section (1) of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), a copy thereof is available for inspection on Directorate's website-<http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Gwalior/Amrut/gwl2035.pdf> and at following offices during office hours namely:-

1. Commissioner, Gwalior Division, Gwalior
2. Collector, District Gwalior
3. Commissioner, Nagar Palik Nigam, Gwalior
4. Joint Director, Town and Country Planning, District office, Gwalior.

If there be any objection or suggestion with respect to the said Gwalior Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Joint Director, Town and Country Planning, Gwalior or mail on Email-id-obj-sugg-gwalior@mp.gov.in before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due conderation.

AJEET KUMAR, Commissioner-Cum-Director.

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

“कचनार”, ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2021

सूचना

क्रमांक-4262-अमृत-वि.यो.-22-रीवा-नग्रानि-2021.- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि रीवा निवेश क्षेत्र के लिए रीवा विकास योजना, 2035 का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट- <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Rewa/Amrut/REWA2035.pdf> पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं :-

1. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा
2. कलेक्टर, जिला रीवा
3. आयुक्त, नगरपालिक निगम, रीवा
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, रीवा

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप रीवा विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, रीवा या ई-मेल आई.डी. obj-sugg-rewa@mp.gov.in में इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.

Bhopal, the 23rd September 2021

NOTICE

No. 4262-Amrut-D.P.-22-rewa-TCP-2021.- Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Rewa Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub-section (1) of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), a copy thereof is available for inspection on Directorate's website-<http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Rewa/Amrut/REWA2035.pdf> and at following offices during office hours namely:-

1. Commissioner, Rewa Division, Rewa
2. Collector, District Rewa
3. Commissioner, Nagar Palik Nigam, Rewa
4. Joint Director, Town and Country Planing, District office, Rewa

if there be any objection or suggestion with respect to the said- Rewa Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Joint Director, Town and Country Planing, Rewa or mail on Email-id-obj-sugg-rewa@mp.gov.in before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration.

AJEET KUMAR, Commissioner-cum-Director.

विभाग प्रमुखों के आदेश संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

“कचनार”, ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल

क्रमांक-2054-अमृत-वि.यो.-27-पीथमपुर-नग्रानि-2021

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2021

सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि पीथमपुर निवेश क्षेत्र के लिए पीथमपुर विकास योजना, 2035 का प्रारूप म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट—

<http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Indore/Ptmr2035.pdf> पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं —

1. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
2. कलेक्टर, जिला इन्दौर
3. कलेक्टर, जिला धार
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, पीथमपुर जिला धार
5. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद्, बेटमा तह. देपालपुर जिला इन्दौर
6. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इन्दौर, म.प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप पीथमपुर विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, इन्दौर या ई-मेल आईडी obj-sugg-pithampur@mp.gov.in में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.

No.2054-Amrut-D.P.-27-Pithampur-TCP-2021

Bhopal, the 31st March 2021

NOTICE

Notice is hereby given that the Pithampur Development Plan, 2035 for Pithampur Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub-section [1] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam, 1973 a copy thereof is available for inspection on Directorate's website – <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Indore/Ptmr2035.pdf> and at following offices during office hours namely -

1. Commissioner, Indore Division, Indore
2. Collector, District- Indore
3. Collector, District- Dhar
4. Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad, Pithampur Dist.Dhar
5. Chief Municipal Officer, Nagar Parishad, Betma Teh. Depalpur Dist. Indore
6. Joint Director, Town and Country Planning, District office, Indore

If there be any objection or suggestion with respect to the said – Pithampur Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Joint Director, Town and Country Planning, Indore or mail on email-id- obj-sugg-pithampur@mp.gov.in before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .

AJEET KUMAR, Commissioner-cum-Director.

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

“कचनार”, ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल

क्रमांक-1958-अमृत-वि.यो.-29-मुरैना-नग्रानि-2021

भोपाल, दिनांक 25 मार्च 2021

सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि साडा काउण्टर मैग्नेट, मुरैना विशेष क्षेत्र के लिए विकास योजना, 2035 का प्रारूप म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट- <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Gwalior/Mrn2035.pdf> पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं -

1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर
2. आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना
3. कलेक्टर, जिला ग्वालियर
4. कलेक्टर, जिला मुरैना
5. कलेक्टर, जिला भिण्ड
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ग्वालियर
7. आयुक्त, नगर पालिक निगम, मुरैना
8. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद्, बानमोर
9. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद्, मालनपुर
10. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भिण्ड, म.प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप साडा काउण्टर मैग्नेट के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, भिण्ड या ई-मेल आईडी obj-sugg-morena@mp.gov.in में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक

No. 1958-Amrut-D.P.-29-Morena-TCP-2021

Bhopal, the 25th March 2021

NOTICE

Notice is hereby given that the SADA Counter Magnet, Morena Development Plan, 2035 for special area has been published as under in accordance with the provisions of sub-section [2] of section 23 read with sub-section [1] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 1973), a copy thereof is available for inspection on Directorate's website –

<http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Gwalior/Mrn2035.pdf> and at following offices during office hours namely –

- 1- Commissioner, Gwalior Division, Gwalior
- 2- Commissioner, Chambal Division, Morena
- 3- Collector, District- Gwalior
- 4- Collector, District- Morena
- 5- Collector, District- Bhind
- 6- Chief Executive Officer, SADA Counter Magnet, Gwalior
- 7- Commissioner, Municipal Corporation, Morena
- 8- Chief Municipal Officer, Nagar Parishad, Banmor
- 9- Chief Municipal Officer, Nagar Parishad, Malanpur
- 10- Assistant Director, Town and Country Planning, District office, Bhind

If there be any objection or suggestion with respect to the said SADA Counter Magnet, Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Assistant Director, Town and Country Planning, Bhind or mail on email-id- obj-sugg-morena@mp.gov.in before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .

AJEET KUMAR, Commissioner-cum-Director.

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

“कचनार”, ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल

क्रमांक-1897-अमृत-वि.यो.-34-कटनी-नग्रानि-2021

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2021

सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि कटनी निवेश क्षेत्र के लिए कटनी विकास योजना, 2035 का प्रारूप म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट- <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Katni/Katni2035.pdf> पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं -

1. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर
2. कलेक्टर, जिला कटनी
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, कटनी
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय कटनी, म.प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप कटनी विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, कटनी या ई-मेल आईडी obj-sugg-katni@mp.gov.in में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.

No-1897-Amrut-D.P.-34-Katni-TCP-2021

Bhopal, the 24th March 2021

NOTICE

Notice is hereby given that the Katni Development Plan, 2035 for Katni Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub section (2) of section 23 read with sub-section [1] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 1973), a copy thereof is available for inspection on Directorate's website—<http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Katni/Katni2035.pdf> and at following offices during office hours namely -

- 1- Commissioner, Jabalpur Division, Jabalpur
- 2- Collector, District- Katni
- 3- Commissioner, Nagar Palik Nigam, Katni
- 4- Assistant Director, Town and Country Planning, District office, katni

If there be any objection or suggestion with respect to the said - katni Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Assistant Director, Town and Country Planning, katni or mail on Email-id- obj-sugg-katni@mp.gov.in before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .

AJEET KUMAR, Commissioner-cum-Director.

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

“कचनार”, ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल

क्रमांक-1291-अमृत-वि.यो.-07-सीहोर-नग्रानि-2021

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2021

सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि सीहोर निवेश क्षेत्र के लिए सीहोर विकास योजना, 2035 का प्रारूप म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट- <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Bhopal/Sehore2035.pdf> पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं -

1. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल
2. कलेक्टर, जिला सीहोर
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, सीहोर
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल-सीहोर-रायसेन म.प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप सीहोर विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, भोपाल-सीहोर-रायसेन, म.प्र. या ई-मेल आईडी obj-sugg-sehore@mp.gov.in में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.

No-1291-Amrut-D.P.-07-Sehore-TCP-2021

Bhopal, the 25th February 2021

NOTICE

Notice is hereby given that the Sehore Development Plan, 2035 for Sehore Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub-section [1] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 1973), a copy thereof is available for inspection on Directorate's website – <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Bhopal/Sehore2035.pdf> and at following offices during office hours namely -

- 1- Commissioner, Bhopal Division, Bhopal
- 2- Collector, District- Sehore
- 3- Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad, Sehore
- 4- Joint Director, Town and Country Planning, District office, Bhopal-Sehore-Raisen, M.P.

If there be any objection or suggestion with respect to the said - Sehore Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Joint Director, Town and Country Planning, Bhopal-Sehore-Raisen or mail on Email-id-obj-sugg-sehore@mp.gov.in before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .

AJEET KUMAR, Commissioner-cum-Director.

विभाग प्रमुखों के आदेश
संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

“कचनार”, ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462 016

क्रमांक-1250-अमृत-वि.यो.-23-विदिशा/नग्रानि-2021

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी, 2021

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि विदिशा निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेबसाइट- <http://www.mptownplan.gov.in/Lu-panel/Vidisha/Vidisha2035.pdf> पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं-

1. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल.
2. कलेक्टर, जिला विदिशा
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, विदिशा
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय विदिशा, मध्यप्रदेश

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप सिंगरौली विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, सिंगरौली या ई-मेल आईडी obj-sugg-vidisha@mp.gov.in में इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.

No - 1250-Amrut-D.P.-23-Vidisha-TCP-2021

Bhopal, the 24th February 2021

NOTICE

Notice is hereby given that the Vidisha Development Plan, 2035 for Vidisha Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub-section [1] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam, 1973 (No.23 of 1973), a copy thereof is available for inspection on Directorate's website - <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Vidisha/vidisha2035.pdf> and at following offices during office hours namely -

- 1- Commissioner, Bhopal Division, Bhopal
- 2- Collector, District- Vidisha
- 3- Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad, Vidisha
- 4- Assistant Director, Town and Country Planning, District office, Vidisha

If there be any objection or suggestion with respect to the said Vidisha Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Assistant Director, Town and Country Planning, Vidisha or mail on Email-id- obj-sugg-vidisha@mp.gov.in before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .

AJEET KUMAR, Commissioner-cum-Director.

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

“कचनार”, ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल

क्रमांक-1246-अमृत-वि.यो.-33-खण्डवा-नग्रानि-2021.-

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2021

सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि खंडवा निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट-<http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Khandwa/Khandwa2035.pdf> पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं -

1. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
2. कलेक्टर, जिला खंडवा
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, खंडवा
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय खंडवा, म.प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप खंडवा विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, खंडवा या ई-मेल आईडी obj-sugg-khandwa@mp.gov.in में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.

No-1246-Amrut-D.P.-33-Khandwa-TCP-2021

Bhopal, the 24th February 2021

NOTICE

Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Khandwa Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub-section [1] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 1973), a copy thereof is available for inspection on Directorate's website – <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Khandwa/Khandwa2035.pdf> and at following offices during office hours namely -

- 1- Commissioner, Indore Division, Indore
- 2- Collector, District- Khandwa
- 3- Commissioner, Nagar Palik Nigam, Khandwa
- 4- Deputy Director, Town and Country Planning, District office, Khandwa.

If there be any objection or suggestion with respect to the said Khandwa Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Deputy Director, Town and Country Planning, Khandwa or mail on Email-id- obj-sugg-khandwa@mp.gov.in before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .

AJEET KUMAR, Commissioner-cum-Director.

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

'कचनार' ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

E-Mail : mptownplan@mp.gov.in

क्रमांक/873 अमृत/वि.यो./32/सिवनी/नग्रानि/2021 भोपाल, दिनांक 9/2/2021

सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि सिवनी निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट- <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Chhindwara/Seoni2035.pdf> पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं -

1. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर
2. कलेक्टर, जिला सिवनी
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, सिवनी
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय छिंदवाड़ा, म.प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप सिवनी विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, छिंदवाड़ा या ई-मेल आईडी obj-sugg-seoni@mp.gov.in में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।



(अजीत कुमार)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश, भोपाल

DIRECTORATE TOWN & COUNTRY PLANNING MP
PARYAVARAN PARISAR , E-5 ARERA COLONY , BHOPAL
No. 873 Amrut/D.P./32/Seoni /TCP/2021 Bhopal, dated: 9/2/2021

NOTICE

Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Seoni Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub-section [1] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 1973), a copy thereof is available for inspection on Directorate's website – <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Chhindwara/Seoni2035.pdf> and at following offices during office hours namely -

- 1- Commissioner, Jabalpur Division, Jabalpur
- 2- Collector, District- Seoni
- 3- Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad, Seoni
- 4- Deputy Director, Town and Country Planning, District office, Chhindwara

If there be any objection or suggestion with respect to the said - Seoni Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Deputy Director, Town and Country Planning, Chhindwara or mail on Email-id- obj-sugg-seoni@mp.gov.in before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .



(Ajeet Kumar)
Commissioner cum Director
Town and Country Planning
M.P. Bhopal

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

'कचनार' ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

क्रमांक / 894 / अमृत / वि.यो. / 13 / नीमच / नग्रानि / 2021 भोपाल, दिनांक 09 / 02 / 2021

E-Mail : mptownplan@mp.gov.in

सूचना

एतद द्वारा यह सूचना दी जाती है कि नीमच निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट—<http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Neemuch/Neemuch2035.pdf> पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं -

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन
2. कलेक्टर, जिला नीमच
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नीमच
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय नीमच, म.प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप नीमच विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, नीमच या ई-मेल आईडी obj-sugg-neemuch@mp.gov.in में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।



(अजीत कुमार)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश, भोपाल

DIRECTORATE TOWN & COUNTRY PLANNING MP

PARYAVARAN PARISAR , E-5 ARERA COLONY , BHOPAL

No. 894 Amrut/D.P./13/Neemuch /TCP/2021

Bhopal, dated: 09/02/2021

NOTICE

Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Neemuch Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub-section [1] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam, 1973 (No.23 of 1973), a copy thereof is available for inspection on Directorate's website – <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Neemuch/Neemuch2035.pdf> and at following offices during office hours namely -

- 1- Commissioner, Ujjain Division, Ujjain
- 2- Collector, District Neemuch
- 3- Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad, Neemuch
- 4- Deputy Director, Town and Country Planning, District office, Neemuch

If there be any objection or suggestion with respect to the said – Neemuch Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Deputy Director, Town and Country Planning, Neemuch or mail on Email-id- obj-sugg-neemuch@mp.gov.in before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .



(Ajeet Kumar)

Commissioner cum Director
Town and Country Planning
M.P. Bhopal

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

“कचनार”, ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल

क्रमांक-700-अमृत-वि.यो.-26-सतना-नग्रानि-2021.-

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2021

सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि सतना निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट- <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Satna/satna2035.pdf> पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं -

1. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा
2. कलेक्टर, जिला सतना
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, सतना
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सतना, म.प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप सतना विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, सतना या ई-मेल आईडी obj-sugg-satna@mp.gov.in में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.

No. 700–Amrut–D.P.–26–satna–TCP–2021.–

Bhopal, the 2nd February 2021**NOTICE**

Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Satna Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub-section [1] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam, 1973 (No.23 of 1973), a copy thereof is available for inspection on Directorate's website – <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Satna/satna2035.pdf> and at following offices during office hours namely -

- 1- Commissioner, Rewa Division, Rewa
- 2- Collector, District- Satna
- 3- Commissioner, Nagar Palik Nigam, Satna
- 4- Deputy Director, Town and Country Planning, District office, Satna

If there be any objection or suggestion with respect to the said – Satna Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Deputy Director, Town and Country Planning, Satna or mail on Email-id- obj-sugg-satna@mp.gov.in before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .

AJEET KUMAR, Commissioner-cum-Director.

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

“कचनार”, ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल

क्रमांक-667-अमृत-वि.यो.-25-रतलाम-नग्राणि-2021.-

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2021

सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि रतलाम निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट- <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Ratlam/ratlam2035.pdf> पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं -

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन
2. कलेक्टर, जिला रतलाम
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रतलाम
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय रतलाम, म.प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप रतलाम विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, रतलाम या ई-मेल आईडी obj-sugg-rtlm@mp.gov.in में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.

No-667-Amrut-D.P.-25-Ratlam-TCP-2021

Bhopal, the 1st February 2021

NOTICE

Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Ratlam Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub-section [1] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 1973), a copy thereof is available for inspection on Directorate's website - <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Ratlam/ratlam2035.pdf> and at following offices during office hours namely -

- 1- Commissioner, Ujjain Division, Ujjain
- 2- Collector, District- Ratlam
- 3- Commissioner, Nagar Palik Nigam, Ratlam
- 4- Deputy Director, Town and Country Planning, District office, Ratlam

If there be any objection or suggestion with respect to the said Ratlam Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Deputy Director, Town and Country Planning, Ratlam or mail on Email-id- obj-sugg-rtlm@mp.gov.in before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .

AJEET KUMAR, Commissioner-Cum-Director.

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश, भोपाल

"कचनार," ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल

क्रमांक-311-अमृत-वि.यो.-30-खरगोन-नग्रानि-2021

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2021

सूचना

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि खरगोन निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेबसाइट- <http://mptownplan.gov.in/Lu-panel/Indore/Khargone/Khargone2035.pdf> पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं:-

1. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
2. कलेक्टर, जिला खरगोन
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद, खरगोन
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय खरगोन, मध्यप्रदेश.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप खरगोन विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, खरगोन या ई-मेल आईडी obj-sugg-Khargone@mp.gov.in में इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.

No - 311-Amrut-D.P.-30-Khargone-TCP-2021

Bhopal, the 20th January 2021

NOTICE

Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Khargone Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub-section [1] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam, 1973 (No.23 of 1973), a copy thereof is available for inspection on Directorate's website - <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Indore/khargone/khargone2035.pdf> and at following offices during office hours namely -

- 1- Commissioner, Indore Division, Indore
- 2- Collector, District- Khargone
- 3- Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad, Khargone
- 4- Assistant Director, Town and Country Planning, District office, Khargone

If there be any objection or suggestion with respect to the said - Khargone Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Assistant Director, Town and Country Planning, Khargone or mail on Email-id- obj-sugg-khargone@mp.gov.in before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .

AJEET KUMAR, Commissioner- Cum-Director.

I pkyuky;] uxj rFkk xte fuoSk e/; inSk Hki ky

^dpukj^ b&5] i; kbj.k ifj l j] vjkk dkykuh] gchcxat ifyl Fkkuk ds ikl] Hki ky&462 016
E-mail : mptownplan@mp.gov-in

Øekad&153&ver&fo-; ks&24&Nrjij&uxtkfu&2021

Hki ky] fnukad 11 tuojh] 2021

, rn}kjk ; g l pkk nh tkrh gSfd Nrjij fuoSk {ks= dsfy, fodkl ; kstuk dk ik: i e/; inSk uxj rFkk xte fuoSk
vf/kfu; e] 1973 1/2- 23 l u-1973 1/2 dh /kkjk 18 dh mi /kkjk 1/4 1/2 ds mi cdkka ds vuq kj fuEukuq kj i zdkf' kr fd; k x; k gS bl dh
, d ifr l pkyuky; dh osl kbV& <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Chhatarpur/Chhatarpur2035pdf> ij rFkk
dk; ky; hu l e; eafuEufyf[kr dk; ky; kaefujh{k.k dsfy, mi yC/k g&

- 1- vk; Ør] l kxj l Hkkx] l kxj
- 2- dyDVj] ftyk Nrjij
- 3- e[; uxj ikfydk vf/kdkjh] uxj ikfydk ifj"kn-Nrjij
- 4- l gk; d l pkyd] uxj rFkk xte fuoSk] ftyk dk; ky; Nrjij] e/; inSk

; fn dkbZvki Rr ; k l Ø-ko ik: i Nrjij fodkl ; kstuk ds l eak eagk ml sfyf[kr : i eal gk; d l pkyd] uxj rFkk
xte fuoSk] ftyk dk; ky;] Nrjij ; k b&esy vkbMh obj-sugg-Chhatarpur@mp.gov.in eabl l pkk dse/; inSk jkti=
eal zdkf' kr gkus ds fnukad l s30 fnu dh vof/k dk vol ku gkus ds i d] l E; d fopkj graqiLr; fd; k tk l drk gS

vtr dekj] vk; Ør&l g&l pkyd-

No - 153-Amrut-D.P.-24-Chhatarpur-TCP-2021

Bhopal, the 11th January 2021.

NOTICE

Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Chhatarpur Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub-section [1] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 1973), a copy thereof is available for inspection on Directorate's website – <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Chhatarpur/Chhatarpur2035.pdf> and at following offices during office hours namely -

- 1- Commissioner, Sagar Division, Sagar
- 2- Collector, District- Chhatarpur
- 3- Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad, Chhatarpur
- 4- Assistant Director, Town and Country Planning, District office, Chhatarpur

If there be any objection or suggestion with respect to the said Chhatarpur Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Assistant Director, Town and Country Planning, Chhatarpur or mail on Email-id- obj-sugg-chhatarpur@mp.gov.in before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .

AJEET KUMAR, Commissioner-cum-Director.

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

'कचनार' ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

E-Mail : mptownplan@mp.gov.in

क्रमांक / 104 / अमृत / वि.यो. / 17 / नग्रानि / 2021 भोपाल, दिनांक 06 / 01 / 2021

सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उज्जैन निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट- <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Ujjain/ujjain2035.pdf> पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं -

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन
2. कलेक्टर, जिला उज्जैन
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, उज्जैन
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय उज्जैन, म.प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उज्जैन विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, उज्जैन या ई-मेल आईडी obj-sugg-ujjain@mp.gov.in में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।


(अजीत कुमार)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश, भोपाल

DIRECTORATE TOWN & COUNTRY PLANNING MP
PARYAVARAN PARISAR , E-5 ARERA COLONY , BHOPAL
No. 104/ Amrut/D.P./17 /TCP/2021 Bhopal, dated: 06/01/2021

NOTICE

Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Ujjain Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub-section [1] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 1973), a copy thereof is available for inspection on Directorate's website – <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Ujjain/ujjain2035.pdf> and at following offices during office hours namely -

- 1- Commissioner, Ujjain Division, Ujjain
- 2- Collector, District- Ujjain
- 3- Commissioner, Nagar Palik Nigam, Ujjain
- 4- Joint Director, Town and Country Planning, District office, Ujjain

If there be any objection or suggestion with respect to the said Ujjain Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Joint Director, Town and Country Planning, Ujjain or mail on Email-id- obj-sugg-ujjain@mp.gov.in before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .


(Ajeet Kumar)
Commissioner cum Director
Town and Country Planning
M.P. Bhopal

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

'कचनार' ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

क्रमांक / 39 / अमृत / वि.यो. / 15 / नग्रानि / 2021 भोपाल, दिनांक 2 / 1 / 2021
E-Mail : mptownplan@mp.gov.in

सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि होशंगाबाद निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट- <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Hoshangabad/hoshangabad2035.pdf> पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं -

1. आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद
2. कलेक्टर, जिला होशंगाबाद
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, होशंगाबाद
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय होशंगाबाद, म.प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप होशंगाबाद विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, होशंगाबाद या ई-मेल आईडी obj-sugg-hoshangabad@mp.gov.in में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।



(अजीत कुमार)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश, भोपाल

DIRECTORATE TOWN & COUNTRY PLANNING MP

PARYAVARAN PARISAR , E-5 ARERA COLONY , BHOPAL

No. 39 Amrut/D.P./15 /TCP/2021 Bhopal, dated: 2/1/2021

NOTICE

Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Hoshangabad Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub-section [1] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 1973), a copy thereof is available for inspection on Directorate's website – <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Hoshangabad/hoshangabad2035.pdf> and at following offices during office hours namely -

- 1- Commissioner, Narmada Puram Division, Hoshangabad
- 2- Collector, District- Hoshangabad
- 3- Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad, Hoshangabad
- 4- Deputy Director, Town and Country Planning, District office, Hoshangabad

If there be any objection or suggestion with respect to the said Hoshangabad Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Deputy Director, Town and Country Planning, Hoshangabad or mail on Email-id- obj-sugg-hoshangabad@mp.gov.in before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .



(Ajeet Kumar)

**Commissioner cum Director
Town and Country Planning**

M.P. Bhopal

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

'कचनार' ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हथीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

E-Mail : mptownplan@mp.gov.in

क्रमांक / 19 / अमृत / वि.यो. / 18 / नग्रानि / 2021 भोपाल, दिनांक 2 / 1 / 2021

सूचना

एतद द्वारा यह सूचना दी जाती है कि दमोह निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट- <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Sagar/damoh2035.pdf> पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं -

1. आयुक्त, सागर संभाग, सागर
2. कलेक्टर, जिला दमोह
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, दमोह
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सागर, म.प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप दमोह विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, सागर या ई-मेल आईडी obj-sugg-damoh@mp.gov.in में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।



(अजीत कुमार)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश

6 मध्यप्रदेश, भोपाल

DIRECTORATE TOWN & COUNTRY PLANNING M.P.
PARYAVARAN PARISAR , E-5 ARERA COLONY , BHOPAL

No. 19 Amrut/D.P/18/TCP/2021 Bhopal, dated: 2/1/2021

NOTICE

Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Damoh Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub-section [1] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 1973), a copy there of is available for inspection on Directorate's website – <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Sagar/damoh2035.pdf> and at following offices during office hours namely -

- 1- Commissioner, Sagar Division, Sagar
- 2- Collector, District- Damoh
- 3- Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad, Damoh
- 4- Joint Director, Town and Country Planning, District office, Sagar

If there be any objection or suggestion with respect to the said Damoh Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Joint Director, Town and Country Planning, Sagar or mail on Email-id- obj-sugg-damoh@mp.gov.in before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .



(Ajeet Kumar)
Commissioner cum Director
Town and Country Planning
M.P. Bhopal

§

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

कचनारट ई-5 पर्यावरण पॉरेसर अरेरा कालोनी हवीधर्मज पुलिस थाना क पास,भोपाल-462016

E-mail : mptownplan@mp.gov.in

क्रमांक/5787/अमृत/वि.यो./16/नग्रानि/2020 भोपाल, दिनांक 31/12/2020

सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि नागदा निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट— <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Ujjain/nagda2035.pdf> पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं –

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन
2. कलेक्टर, जिला उज्जैन
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, नागदा
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय उज्जैन, म.प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप नागदा विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, उज्जैन या ई-मेल आईडी obj-sugg-nagda@mp.gov.in में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।



(अजीत कुमार)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश, भोपाल

६

DIRECTORATE TOWN & COUNTRY PLANNING MP
PARYAVARAN PARISAR , E-5 ARERA COLONY , BHOPAL
No.5787Amrut/D.P./16 /TCP/2020 Bhopal, dated: 31/12/2020

NOTICE

Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Nagda Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub-section [1] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 1973), a copy thereof is available for inspection on Directorate's website – <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Ujjain/nagda2035.pdf> and at following offices during office hours namely -

- 1- Commissioner, Ujjain Division, Ujjain
- 2- Collector, District- Ujjain
- 3- Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad, Nagda
- 4- Joint Director, Town and Country Planning, District office, Ujjain

If there be any objection or suggestion with respect to the said Nagda Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Joint Director, Town and Country Planning, Ujjain or mail on Email-id- obj-sugg-nagda@mp.gov.in before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .


(Ajeet Kumar)
Commissioner cum Director
Town and Country Planning
M.P. Bhopal

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

'कचनार' ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

क्रमांक / 5755 / अमृत / वि.यो. / 19 / नगानि / 2020 भोपाल, दिनांक 30/12/2020

E-Mail : mptownplan@mp.gov.in

सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि गुना निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट- <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Guna/guna2035.pdf> पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं -

1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर
2. कलेक्टर, जिला गुना
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, गुना
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय गुना, म.प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप गुना विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, गुना या ई-मेल आईडी obj-sugg-guna@mp.gov.in में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।


(अजीत कुमार)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश, भोपाल

**DIRECTORATE TOWN & COUNTRY PLANNING M.P.
PARYAVARAN PARISAR , E-5 ARERA COLONY , BHOPAL**

No 5755 Amrut/D.P/19/TCP/2020 Bhopal, dated: 30/12/2020

NOTICE

Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Guna Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub-section [1] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 1973), a copy there of is available for inspection on Directorate's website – <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Guna/guna2035.pdf> and at following offices during office hours namely -

- 1- Commissioner, Gwalior Division, Gwalior
- 2- Collector, District- Guna
- 3- Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad, Guna
- 4- Deputy Director, Town and Country Planning, District office, Guna

If there be any objection or suggestion with respect to the said Guna Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Deputy Director, Town and Country Planning, Guna or mail on Email-id- obj-sugg-guna@mp.gov.in before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .



(Ajeet Kumar)
Commissioner cum Director
Town and Country Planning
M.P. Bhopal

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

'कचनार' ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

E-Mail : mptownplan@mp.gov.in

क्रमांक / 5751 / अमृत / वि.यो. / 20 / नग्रानि / 2020 भोपाल, दिनांक 30/12/2020

सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि दतिया निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट— <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Gwalior/datiya2035.pdf> पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं –

1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर
2. कलेक्टर, जिला दतिया
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, दतिया
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय ग्वालियर, म.प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप दतिया विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, ग्वालियर या ई-मेल आईडी obj-sugg-datia@mp.gov.in में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।


(अजीत कुमार)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश, भोपाल

DIRECTORATE TOWN & COUNTRY PLANNING M.P.
PARYAVARAN PARISAR , E-5 ARERA COLONY , BHOPAL
No.5751 Amrut/D.P/20/TCP/2020 Bhopal, dated: 30/12/2020

NOTICE

Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Datia Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub-section [1] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 1973), a copy there of is available for inspection on Directorate's website – <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Gwalior/datiya2035.pdf> and at following offices during office hours namely -

- 1- Commissioner, Gwalior Division, Gwalior
- 2- Collector, District- Datia
- 3- Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad, Datia
- 4- Joint Director, Town and Country Planning, District office, Gwalior

If there be any objection or suggestion with respect to the said Datia Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Joint Director, Town and Country Planning, Gwalior or mail on Email-id-obj-sugg-datia@mp.gov.in before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .



(Ajeet Kumar)
Commissioner cum Director
Town and Country Planning
M.P. Bhopal

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

'कचनाट' ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

E-Mail : mptownplan@mp.gov.in

क्रमांक / 5712 / अमृत / वि.यो. / 10 / नग्रानि / 2020 भोपाल, दिनांक 29 / 12 / 2020

सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि सिंगरौली निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट— <http://www.mptownplan.nic.in/LU-panel/Rewa/Sing2035Draft.pdf> पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं -

1. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा
2. कलेक्टर, जिला सिंगरौली
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, सिंगरौली, म.प्र.
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सिंगरौली, म.प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप सिंगरौली विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, सिंगरौली या ई-मेल आईडी obj-sugg-singrauli@mp.gov.in में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।



(अजीत कुमार)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश, भोपाल

DIRECTORATE TOWN & COUNTRY PLANNING MP
PARYAVARAN PARISAR , E-5 ARERA COLONY , BHOPAL
No 5712 Amrut/D.P./10 /TCP/2020 Bhopal, dated: 29/12/2020

NOTICE

Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Singrauli Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub-section [1] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 1973), a copy thereof is available for inspection on Directorate's website – <http://www.mptownplan.nic.in/LU-panel/Rewa/Sing2035Draft.pdf> and at following offices during office hours namely -

- 1- Commissioner, Rewa Division, Rewa
- 2- Collector, District- Singrauli
- 3- Commissioner, Nagar Palik Nigam, Singrauli
- 4- Deputy Director, Town and Country Planning, District office, Singrauli

If there be any objection or suggestion with respect to the said Singrauli Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Deputy Director, Town and Country Planning, Singrauli or mail on Email-id- obj-sugg-singrauli@mp.gov.in before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .



(Ajeet Kumar)
Commissioner cum Director
Town and Country Planning
M.P. Bhopal

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश, भोपाल

“कचनार” ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

क्रमांक-5437-अमृत-वि.यो.-05-नग्रानि-2020.-

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2020

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि बैतूल निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट- <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Betul/Amrut/Betul.pdf> पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं -

1. आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद
2. कलेक्टर, जिला बैतूल
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, बैतूल
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय बैतूल, म.प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप बैतूल विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, बैतूल या ई-मेल आईडी obj-sugg-devplan@mp.gov.in में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.

No - 5437-Amrut-D.P.-05-TCP-2020.-

Bhopal, the 16th December 2020

Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Betul Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub-section [1] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 1973), a copy thereof is available for inspection on Directorate's website – <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Betul/Amrut/Betul.pdf> and at following offices during office hours namely -

- 1- Commissioner, Narmadapuram Division, Hoshangabad
- 2- Collector, District- Betul
- 3- Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad, Betul
- 4- Assistant Director, Town and Country Planning, District office, Betul

If there be any objection or suggestion with respect to the said Betul Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Assistant Director, Town and Country Planning, Betul or mail on Email-id- obj-sugg-devplan@mp.gov.in before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .

AJEET KUMAR, Commissioner-cum-Director.

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

संख्या ई-5 पर्यावरण विभाग मध्य प्रदेश सरकार की प्रतिक्रिया बुकिलर थर्मो के पास भोपाल-465 2016

E-Mail : mptownplan@mp.gov.in

क्रमांक/5252/अमृत/वि.यो./02/नग्रानि/2020 भोपाल, दिनांक 05/12/2020

सूचना

एतद द्वारा यह सूचना दी जाती है कि भिण्ड निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है. इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट- <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Bhind/Bhind2035.pdf> पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं -

1. आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना
2. कलेक्टर, जिला भिण्ड
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, भिण्ड
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भिण्ड, म.प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप भिण्ड विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, भिण्ड या ई-मेल आईडी obj-sugg-devplan@mp.gov.in में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।


(अजीत कुमार)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश, भोपाल

DIRECTORATE TOWN & COUNTRY PLANNING MP
PARYAVARAN PARISAR , E-5 ARERA COLONY , BHOPAL
No.5252 Amrut/D.P./02 /TCP/2020 Bhopal, dated: 05 /12/ 2020

NOTICE

Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Bhind Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub-section [1] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 1973), a copy thereof is available for inspection on Directorate's website – <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Bhind/Bhind2035.pdf> and at following offices during office hours namely -

- 1- Commissioner, Chambal Division, Morena
- 2- Collector, District- Bhind
- 3- Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad, Bhind
- 4- Assistant Director, Town and Country Planning, District office, Bhind

If there be any objection or suggestion with respect to the said Bhind Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Assistant Director, Town and Country Planning, Bhind or mail on Email-id- obj-sugg-devplan@mp.gov.in before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .


(Ajeet Kumar)
Commissioner cum Director
Town and Country Planning
M.P. Bhopal

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

'कचनार' ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

E-Mail : mptownplan@mp.gov.in

क्रमांक / 5264/अमृत/वि.यो./11/नग्रानि/2020 भोपाल, दिनांक 05 / 12 / 2020

सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि बुरहानपुर निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट- <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Khandwa/brdp2031.pdf> पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं -

1. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
2. कलेक्टर, जिला बुरहानपुर
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, बुरहानपुर
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय खंडवा, म.प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप बुरहानपुर विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, खंडवा या ई-मेल आईडी obj-sugg-devplan@mp.gov.in में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।



(अजीत कुमार)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश, भोपाल

DIRECTORATE TOWN & COUNTRY PLANNING MP
PARYAVARAN PARISAR , E-5 ARERA COLONY , BHOPAL
No. 5264Amrut/D.P./11 /TCP/2020 Bhopal, dated: 05 //2/ 2020

NOTICE

Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Burhanpur Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub-section [1] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 1973), a copy there of is available for inspection on Directorate's website – <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Khandwa/brdp2031.pdf> and at following offices during office hours namely -

- 1- Commissioner, Indore Division, Indore
- 2- Collector, District- Burhanpur
- 3- Commissioner, Nagar Palik Nigam, Burhanpur
- 4- Deputy Director, Town and Country Planning, District office, Khandwa

If there be any objection or suggestion with respect to the said Burhanpur Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Deputy Director, Town and Country Planning, Khandwa or mail on Email-id- obj-sugg-devplan@mp.gov.in before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .



(Ajeet Kumar)
Commissioner cum Director
Town and Country Planning
M.P. Bhopal

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

'कचनार' ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

E-Mail : mptownplan@mp.gov.in


क्रमांक/5260/अमृत/वि.यो./06/नग्रानि/2020 भोपाल, दिनांक 05//12/2020

सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मंदसौर निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट— <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Neemuch/mdr2035.pdf> पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं –

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन
2. कलेक्टर, जिला मंदसौर
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, मंदसौर
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय नीमच, म.प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप मंदसौर विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, नीमच या ई-मेल आईडी obj-sugg-devplan@mp.gov.in में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।


(अजीत कुमार)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश, भोपाल

**DIRECTORATE TOWN & COUNTRY PLANNING M.P.
PARYAVARAN PARISAR , E-5 ARERA COLONY , BHOPAL**

No.5260Amrut/D.P/06 /TCP/2020 Bhopal, dated: 05 /12/ 2020

NOTICE

Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Mandasaur Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub-section [1] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 1973), a copy there of is available for inspection on Directorate's website – <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Neemuch/mdr2035.pdf> and at following offices during office hours namely -

- 1- Commissioner, Ujjain Division, Ujjain
- 2- Collector, District- Mandasaur
- 3- Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad, Mandasaur
- 4- Deputy Director, Town and Country Planning, District office, Neemuch

If there be any objection or suggestion with respect to the said Mandasaur Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Deputy Director, Town and Country Planning, Neemuch or mail on Email-id- obj-sugg-devplan@mp.gov.in before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .



(Ajeet Kumar)
Commissioner cum Director
Town and Country Planning
M.P. Bhopal



संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

'कचनारट' ई-5 पर्यावरण परिसर अटेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

E-Mail : mptownplan@mp.gov.in

क्रमांक /5256 /अमृत/वि.यो./09/नगानि/2020 भोपाल, दिनांक 05 /12/2020

सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि शिवपुरी निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट- <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Guna/spr2035.pdf> पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं -

1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर
2. कलेक्टर, जिला शिवपुरी
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, शिवपुरी
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय गुना, म.प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप शिवपुरी विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, गुना या ई-मेल आईडी obj-sugg-devplan@mp.gov.in में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।



(अजीत कुमार)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश, भोपाल

DIRECTORATE TOWN & COUNTRY PLANNING M.P.
PARYAVARAN PARISAR , E-5 ARERA COLONY , BHOPAL
No.5286 Amrut/D.P./09 /TCP/2020 Bhopal, dated: 05/12/2020

NOTICE

Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Shivpuri Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub-section [1] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 1973), a copy thereof is available for inspection on Directorate's website – <http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Guna/spr2035.pdf> and at following offices during office hours namely -

- 1- Commissioner, Gwalior Division, Gwalior
- 2- Collector, District- Shivpuri
- 3- Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad, Shivpuri
- 4- Deputy Director, Town and Country Planning, District office, Guna

If there be any objection or suggestion with respect to the said Shivpuri Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Deputy Director, Town and Country Planning, Guna or mail on Email-id- obj-sugg-devplan@mp.gov.in before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .


(Ajeet Kumar)
Commissioner cum Director
Town and Country Planning
M.P. Bhopal